संख्या 11013/2/77-स्थापना(क)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 जून, 1978

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 - राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी०एम०) की समिति की पाँचवीं एवं अन्तिम रिपोर्ट - नियम 6 के विषय में स्पष्टीकरण ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 28-1-1977 को हुई राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी०एम०) की समिति की बैठक में कर्मचारी पक्ष ने अपने इस अनुरोध का उल्लेख किया था कि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए कि इस बात का निर्णय कैसे किया जाए कि किसी ऐसोसियेशन के उद्देश्यों अथवा क्रियाकलापों पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 6 के उपबन्धों को लागू किया जाए; क्योंकि ऐसे स्पष्टीकरण के बिना किसी भी स्तर पर, किसी भी सक्षम प्राधिकारी के लिए, बिना सही औचित्य के किसी भी कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त नियम का उल्लंघन करने पर, उसके विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव होगा । कर्मचारी पक्ष के उक्त विचारों पर सरकार द्वारा सावधानी से विचार किया गया है । चूँकि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 6 को आकर्षित करने वाले विभिन्न उद्देश्यों अथवा क्रियाकलापों की व्यापक एवं सम्पूर्ण सूची तैयार करना व्यवहार्य नहीं है और चूँकि कर्मचारी पक्ष की मूल आशंका निम्न स्तरों पर मनमानी कार्यवाही किए जाने की संभाव्यता के संबंध में है, इसलिए यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 6 का कथित उल्लंघन करने पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केवल तभी कार्यवाही की जा सकती है जबकि विभागाध्यक्ष स्तर के प्राधिकारी ने यह निर्णय कर दिया हो कि संबंधित ऐसोसियेशन के उद्देश्य अथवा क्रियाकलाप इस प्रकार के हैं कि उन पर उक्त नियमों के नियम 6 को लागू किया जाए । जहाँ कहीं, स्वयं विभागाध्यक्ष को सन्देह हो, तो वह केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 6 का कथित उल्लंघन करने पर कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग से सलाह लेगा ।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय की जानकारी अपने नियंत्रणाधीन सभी संबंधितों की जानकारी में लाएं ।

(आर०सी० गुप्ता)
उप सचिव, भारत सरकार ।

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों को अतिरिक्त प्रतियों की
सामान्य संख्या सहित ।